और उनमें से प्रत्येक कार्य पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ख) क्या इन योजनाओं को पूरा करने हेतु कोई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है यदि हां, तो वह तिथि क्या है ; और

(ग) क्या मंत्री जी ने अथवा उनके विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन योजनाओं का निरीक्षण किया है यदि हां तो इस संबंध में उनकी रिपोर्ट क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) गंगा कार्य योजना के पहले चरण के अन्तर्गत बिहार में अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन (17), सीवेज उपचार संयंत्रों (7), अल्प लागत स्वच्छता (7), विद्युत-शवदाहगृह (8), नदी तटाग्र विकास (3), तथा अन्य (3), स्कीमें, कुल 45 स्कीमें हाथ में ली गई हैं । इन 45 स्कीमों में से 41 स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं तथा शेष 4 स्कीमों के 31-3-1996 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है । इनका वर्ग-वार व्यय निम्नलिखित है :

(रुपये लाख में)

स्कीमों का प्रकार	किया गया व्यय
शवदाहगृह	362.86
अल्प-लागत स्वच्छता	538.49
नदी तटाग्र विकास	87.78
अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन	1945.93
सीवेज उपचार संयंत्र	1381.67
संचालन एवं रख-रखाव	141 51
अन्य	122.32
	4580.56

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी स्कीमों के कार्यों का निरीक्षण तथा पहले से ही स्थापित की जा चुकी स्कीमों के संचालन एवं रख-रखाव सहित स्कीमों की प्रगति की निगरानी करते रहे हैं । अल्प-लागत स्वच्छता नदी तटाग्र विकास जैसी सुविधाओं का संचालन एवं रख-रखाव सन्तोषजनक है परन्तु सीवेज उपचार संयंत्रों पंपिंग स्टेशनों एवं विद्युत शवदाह गृहों में विद्युत आपूर्ति में अवरोधन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है जब कि शेष स्कीमों के पूरा होने में भूमि अधिग्रहण अवैध कब्जे तथा ठेके में मुकदमेबाजी की समस्याओं के कारण विलम्ब हुआ है ।

Environmental projects in Maharashtra Started with central and foreign assistance

23. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the details of projects which have been started in Maharashtra with the central and foreign assistance during the last two years for improvement of environment and development of forest and wildlife in State;

(b) the financial assistance provided to the State Government for this purpose and the achievements made so far;

(c) whether any special scheme for protection and development of wildlife in Maharashtra State has been formulated;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the future programme, if any, chalked out in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) The details of projects which have been started in Maharashtra with the Central and foreign assistance for

improvement of environment and development of forests and wildlife in the State alongwith the achievement both physical and financial during the last two years are given in the Statement at the Annexure (See Appendir 172, Annexure No. 2)

(c) to (e) All the existing schemes of Wildlife conservation as indicated at S. No. 1-3 & 7 in the Statement at the Annexure will be continued.

Settlement of Encroached forest Land

24. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether any proposal from Maharashtra Government for settlement of encroached forest land by tribals has recently been received by the Central Government; and

(b) if so, when the proposal was received and the action taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) A proposal for diversion of 28,886.41 ha. of forest land for regularisation of encroachments on forest land was received from the State Government of Maharashtra in June, 1990. After examination of the proposal, certain essential details have been sought from the State Government, which are yet to be received.

वन्य जीवों की खालों और उनके अंगों का अवैध व्यापार

25. श्री सत्य प्रकाश मालवीय:
श्री अनन्तराम जायसवाल:
श्री दिग्विजय सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री ह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन्य जीवो की खालों और अंगों का बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार चल रहा है और इसमें सना के विभिन्न अंगों क अधिकारी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शामिल है ।

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार न इस अवैध व्यापार में लिप्त गिरोहा और संबंधित सेना-अधिकारियो का पता लगाने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) वन्य जीवों की रक्षा करने तथा उनकी खालों और अंगों का अवैध व्यापार रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) जी, नही । तथापि, रिपोर्ट मिली है कि उत्तर प्रदेश में तैनात कुछ सैनिक अधिकारी वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार में संलग्न हैं । इस मामले की जांच पड़ताल राज्य सरकार के माध्यम से की जा रही है और जरूरी होने पर इसे सैनिक प्राधिकारियों के साथ भी उठाया जाएगा ।

(घ) सरकार द्वारा वन्य जीव-जन्तुओं की सूरक्षा तथा वन्यजीवों और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं .—

(1) अनुसूचित वन्य जीव-जन्तुओं के शिकार करने पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है ।

(2) शिकार-रोधी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य/सघ राज्य क्षेत्र सरकार को केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

(3) बाघों, हाथियों और गैंडों तथा उनके वास स्थलों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए विशिष्ट स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं ।

(4) जब कभी वन्य जीवन प्राधिकारियों को वन्य जीव-जन्तुओं के अवैध व्यापार की सूचना मिलती है, तो वे छापे मारते हैं ।